परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

रिक्त पडे स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु सीमित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A 2.15

Page No. 57

प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार विवरण का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी)

मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु **3.500** हे0 सिविल/आरक्षित/वन पंचायत/नाप भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:–

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक, कर्म्पाटमेन्ट, खसरा सं0	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	ब्यास वर्ग										
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित	अगस्त्यमुनि रेंज	चीड	Pinus roxburghii	5	32	69	71	49	6	4	5	2		243
	सिविल	–तदैव–	बुरांस	Quercus lanuginosa			3	2							5
	वन पंचायत	–तदैव–	कार्कल				3	1	–	–	–	–	–	–	4
	सिविल	–तदैव–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	वन पंचायत	–तदैव–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग				5	32	75	74	49	6	4	5	2		252
	नाप भूमि	–तदैव–	खिलोक			1	1			1					3
		–तदैव–	अखरोट	Juglans regia		1									1
		–तदैव–	खडीक			2			1						3
		–तदैव–	तुन	Cedrela toona						1					1
			योग			4	1		1	2					8
			कुल योग		5	36	76	74	50	8	4	5	2		260

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

योजना का नाम :–जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रूपये
1	2	3	4	5	6
1	किलोक	10-20	1	80.00	80.00
		20-30	1	160.00	160.00
		50-60	1	780.00	780.00
	अखरोट	20-30	1	960.00	960.00
	खड़ीक	10-20	2	80.00	160.00
		40-50	1	630.00	630.00
	तुन	50-60	1	8550.00	8550.00
	चीड़	0-10	5	90.00	450.00
		10-20	36	240.00	8640.00
		20-30	79	600.00	47400.00
		30-40	71	2330.00	165430.00
		40-50	49	5070.00	248430.00
		50-60	6	8565.00	51390.00
		60-70	3	13200.00	39600.00
		70-80	5	18660.00	93300.00
		80-90	2	23860.00	47720.00
	बुरांस	20-30	3	160.00	480.00
		30-40	2	390.00	780.00
	काफल	20-30	3	160.00	480.00
		30-40	1	390.00	390.00
	बांज	30-40	1	485.00	485.00
		Total	274	Total	716495.00
				G. Total	716495.00

अनुसूचित दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु –

4 वर्षों में वृद्धि 10% x 4 = 40%

[illegible]

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 07.04.2011 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक, कम्पार्टमेन्ट, खसरा सं0	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	ब्यास वर्ग										
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित	अगस्त्यमुनि रैंज	बांज				.	1	.		.				1
	सिविल		बांज	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	वन पंचायत		बांज	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	योग		बांज				.	1	.		.				1
	नाप भूमि		बांज	.	.	.	.	✓	.	.	.	.	.	.	.
	कुल योग		बांज				.	1	.	.	.				1

उपरोक्त परियोजना से बांज का वृक्ष प्रभावित हो रहा है। जिनका पातन किया जाना अति आवश्यक है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

A 2·18

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से ᳚ का मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग कं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) .00 किमी0

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण में पड़ने ाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

Rahul J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

A-2.19

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली—लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0 ।

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting = ½ x 3 x 4.5 x 5000	33750	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	13500	cum
	Total	47250	Cum
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	1000	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	4882	cum
3	Hand packed Stone filling	3750	cum
4	Construction of Wire crate	3375	cum
5	Construction of Parapet	1000	cum
6	Granular sub base /base/surface	6000	cum
7	Construction of ~~Scupper~~ Base Course	5062.00	cum
8	Construction of Road side Drain	~~7500.00~~	cum
9	Super elevation & Patri filling	7500	cum
10	Concrete work	—	cum
11	Total	32569	cum
12	Material Disposal by Cartage	14681	cum

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone	Balance debries
1.	47250 cum	14681	32569	15840	NIL

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

परियोजना का नामः— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0 ।

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Khasara No.	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	भुनका वल्ला	इन्द्र सिंह	221	0.09	6.00	5400	30° 16' 04.97"N 79° 2' 35.58'E
2	—do—	शिवराज सिंह	113	0.084	6.00	5040	30° 16' 06.83"N 79° 02' 25.91"E
3	भुनका पल्ला	इन्द्र सिंह	221	0.09	6.00	5400	30° 16' 16.29"N 79° 1' 54.86 E.
					Total	15840	

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

(D)19

61(B)

Muck Disposal cross section

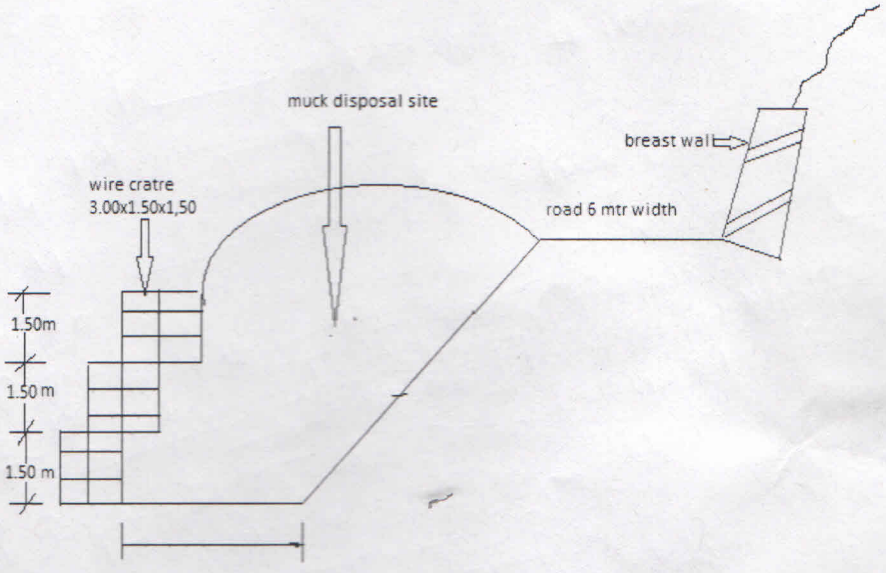

J.E

A.E

E.E

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0, हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– दरबान

ग्राम– भुनका वल्ला

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री ......दरमान सिंह......... पुत्र श्री ......इन्दर सिंह...... ग्राम ......भुनका बल्ला पटवारी वृत्त ......रतूड़ा......... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	खाता /खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
	7/221	0·09
	योग	0·09

राजस्व उप निरीक्षक
रतूड़ा

6(D)

②

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0, हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– बलवीर सिंह

ग्राम– भुनका वल्ला

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री ......बलबीर सिंह........ पुत्र श्री ......शिवराज सिंह ग्राम ......भुनका वल्ला...... पटवारी क्षेत्र ......रतूडा...... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार

क्र0 सं0	खाता /खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
	16/113	0.084
	योग	0.084

राजस्व उप निरीक्षक रतूडा

61(E)

(3)

अनापत्ति प्रमाण- पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0, हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम– दरबान सिंह

ग्राम– भुनका पल्ला

क्रा॰ सं॰ ... . पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री दरबान सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह ग्राम भुनका पल्ला पटवारी वृत्त रतूडा जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	खाता /खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
	7/221	0.09
	योग	0.09

राजस्व उप निरीक्षक रतूडा

61(F)

[illegible] डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

[illegible] के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू [illegible] हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लं0 2.00 + 3.00 [illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible] X 2000 पौध) 5565 पौध

प्रथम चरण

[illegible]	[illegible]	इकाई		इकाई दर (रू0)	योग–
[illegible]	[illegible]	2.7825	है0	78.000	217.035
[illegible]	[illegible]	2.7825	है0	2543.000	7075.898
[illegible]	[illegible] (150 [illegible] प्रति है0 = 81 घ0मी0 [illegible]	2.7825	है0	15309.000	42597.293
[illegible]	[illegible] चूना सहित	5565	गढ्ढा	5.420	30162.300
[illegible]	[illegible]	139.1	किग्रा0	19.000	2643.375
[illegible]	[illegible])	2.7825	है0	624.000	1736.280
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	4.300	23929.500
[illegible]	[illegible] (10 है0) के आधार पर मानते [illegible]				
	[illegible] X 4588 = 36700.00 [illegible] 5x5140 = 25700.00 [illegible]– 62400.00	2.7825	है0	62400.000	62400.000
	[illegible]				**170761.680**

द्वितीय चरण

[illegible]	[illegible] / [illegible])	2.7825	है0	1287.00	3581.08
[illegible]	[illegible]	5565	गढ्ढा	0.97	5398.05
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	6.00	33390.00
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.89	10517.85
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.29	7178.85
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.11	6177.15
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.20	6678.00
[illegible]	[illegible] (कम से कम 9 माह)	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	11719.89
[illegible]	[illegible]	2.7825	है0	310.00	862.58
	[illegible]				**85503.44**
	[illegible]				**256265.12**

[illegible] 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0

[illegible]	[illegible]	5565	पौध	5.50	30607.50
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	6.00	33390.00
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	3.20	17808.00
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.31	7290.15
[illegible]	[illegible]	5565	पौध	1.11	6177.15
[illegible]	[illegible]	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	[illegible]	2.7825	है0	310.00	862.58

6)(G)

	योग– तृतीय चरण				110899.32
	चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)				
[illegible]	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.7825	है0	310.00	862.58
	योग– चतुर्थ चरण				16489.10
	पंचम चरण (रख रखाव कार्य)				
[illegible]	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	2.7825	है0	310.00	862.58
	योग– पंचम चरण				16489.10
	छठवां चरण				
[illegible]	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.7825	है0	310.00	862.58
	छठवां चरण का योग :–				16489.10
	सातवां चरण				
[illegible]	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.7825	है0	310.00	862.58
	सातवां चरण का योग :–				16489.10
	आठवां चरण				
[illegible]	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.7825	है0	310.00	862.58
	आठवां चरण का योग :–				16489.10
	नवां चरण				
[illegible]	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.7825	है0	310.00	862.58
	नवें चरण का योग :–				16489.10
	दसवां चरण				
[illegible]	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	2.7825	है0	468 प्रतिमाह / प्रति है0	15626.52
[illegible]	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	2.7825	है0	310.00	862.58
	दसवें चरण का योग :–				16489.10
	कुल धनराशि			प्रथम चरण	170761.68
				द्वितिय चरण	85503.44
				तृतीय चरण	110899.32
				चतुर्थ चरण	16489.10
				पंचम चरण	16489.10
				षष्ठम चरण	16489.10
				सप्तम चरण	16489.10
				अष्टम चरण	16489.10
				नवम चरण	16489.10
				दशम चरण	16489.10
				कुल योग	482588.11
				कुल योग––	482588.11
				या	482500.00

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

A2.20

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ज्य
योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका ट
मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन मि
हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 कि)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यार
केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण से उक्त परियोजना की दूरी लगभग 38.75
किमी0 है।

Rahul
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभागी
रूद्रप्रयाग

A-2-23

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0)–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

A-2.24

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

~~पृष्ठ सं० 36(A) व 36(B) पर~~

संलग्न है।

———— संलग्न है। ————

प्रधान / सरपंच

मोहर

A-2.24 64(A)

अनापत्ति प्रमाणपत्र

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय
लोकनिर्माण विभाग रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

महोदय,

ग्रामसभा भुनका का मोटर मार्ग जगोली लाटू देवता से 5 किमी० नव निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो हेतु आपके कार्यालय लो० नि० वि० को प्रस्तुत किया जाता है। कि पूरी ग्रामसभा की नवनिर्माण कार्य में कोई भी आपत्ति नहीं है।

महोदय से पूरी ग्राम सभा निवेदन करती है कि इस मोटरमार्ग का निर्माण तुरन्त करवा दिया जाय।

सदस्या
(1) श्रीमती सरिता देवी
(2) श्रीमती विनीता देवी
(3) —"— मंजू देवी
(4) श्री — दिलवरसिंह
(5) श्री — मानसिंह
(6) श्री — [signature]
(7) बलवीरसिंह [signature]
(8) [signature] [signature]
(9) संग्रामसिंह
(10) सरदारसिंह [signature]
(11) [signature]

प्रार्थी

प्रधान ग्राम पंचायत भुनका
[signature]
दि० 21/11/2014
वि० ख० अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

गोविन्दसिंह
दरवान
रघुनाथ सिंह
प्रतापसिंह
दर्शनसिंह
[signature]
उदय सिंह
विरेन्द्र सिंह
उमेदसिंह
राकेश

मनवरसिंह
मातासिंह
मनोज सिंह
पंकजसिंह
लक्ष्मी देवी
उमेद सिंह
कान्ता देवी
[signature]
Samit

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रा ज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका म टर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन मि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किम)

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

A-2-27

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूदप्रयाग वन प्रभाग

उपखण्डीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

A-2.28

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

भू–वैज्ञानिक की आख्या

[illegible] 40(A) से 40(E) पर संलग्न है। ——————————

67(A)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 213 / 1916 / 08

जनपद [illegible] में जसोली लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनवरी 2009

67(B)

जनपद रूद्रप्रयाग में जसोली—लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 5.00 कि0मी0 लम्बाई में जसोली—लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.12.2008 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री ए. एस. राणा एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री हरीश के साथ निरीक्षण किया गया ।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली—लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग का दो अलग—अलग स्वीकृतियों में (3 किमी तथा 2.00 कि0मी0) कुल 5.00 कि0मी0 लम्बाई मे निर्माण कार्य स्वीकृत है। जसोली—काण्डा से लाटू देवता मोटर मार्ग 0.750 कि0मी0 लम्बाई में पूर्व निर्मित है। इस मार्ग का विस्तार करते हुए ग्राम भुनका वल्ला तथा भुनका पल्ला को जोड़ना प्रस्तावित है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखण बनाये गये हैं। समरेखन संख्या—2 के लिए ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन निर्मित मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है तथा लगभग 150मी0 बाद रिज पार कर पहाड के पिछले भाग में चला जाता है। इस भाग में पहाडी ढलान तीव्र है, अतः मार्ग निर्माण में सावधानी अपेक्षित होगी। संरेखन ग्राम वल्ला भुनका तथा पल्ला भुनका के नीचे से निकलता है तथा 5.00 कि0मी0 लम्बाई पूर्ण कर वही समाप्त होता है। कि0मी0 5 मे समरेखन एक गदेरे को पार करता है। जिसपर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट चट्टान है तथा इसके ऊपर ओवर बर्डन है। समरेखन मे कोई हेअर पिन बैण्ड नहीं है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू—आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव ढाल का पूरी ऊंचाई कटान करके प्राप्त की जाये। [illegible] मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) गदेरे पर सेतु का निर्माण उपयुक्त स्थल पर भूगर्भीय राय के आधार पर कराया जाये।

(ग) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुए बिना विस्फोटों का प्रयो किये मार्ग कटान किया जाये।

(घ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जायें, अन्यथा उ भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हों।

(ङ) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होंने पर उ भाग में मार्ग कटान के साथ—साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

29-A

67(C)

(च) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाइड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(छ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग मे वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग हेतु 5.00 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:–

(1) भूमि हस्तान्तरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन / मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो0 नि0 वि0 देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)/मा0वि0–30/05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देषों का भी अनुपालन किया जाये।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

H. Kumar

भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि० स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

25-B

A-2.29

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

A230
A 2-31

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. [illegible] भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. [illegible] प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशे को [illegible]
4. भूमि का [illegible] निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अ रिक्त कोई [illegible] भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. [illegible] उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायें और [illegible] सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, सके [illegible]
6. [illegible] विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्ब र में [illegible] देखभाल करेगा।
7. [illegible] वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई अ त्ति [illegible]
8. [illegible] से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया [illegible] से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्प की [illegible] के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की ज गी।
9. [illegible] द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नि ुल्क [illegible] करायी जायेगी।
10. [illegible] वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या क्ति [illegible] वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभा को [illegible] आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर र्मित [illegible] प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. [illegible] एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि द्वारा [illegible] में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र गौड़ी [illegible] दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया [illegible] वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पय न [illegible] आवश्यक है।
12. [illegible] द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित हो जो [illegible]
13. [illegible] वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन भाग [illegible] यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हं सके [illegible] याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. [illegible] के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोप का [illegible] भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रण में [illegible] जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभा वन [illegible] 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी कार [illegible] ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. [illegible] यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा [illegible] यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पे की [illegible] उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्ष का [illegible]
16. [illegible] की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना गर [illegible] स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. [illegible] भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई [illegible] मान्य होगी।
18. [illegible] जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा नका [illegible]

[illegible] शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक भाग [illegible]

[illegible] अभियन्ता
[illegible]

[illegible] अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

A 2.32

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

Rahul

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग